संख्या– ५५ VI-I/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग :

देहरादून : दिनांक 17 मई, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में जिला योजना के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या–527A/XXVII(I)/2005, दिनांक 26 अप्रैल, 2005 एवं युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय के पत्र संख्या–69/दो–1096/2005–06, दिनांक 27 अप्रैल, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग, उत्तरांचल को वित्तीय वर्ष 2005–06 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपदवार स्वीकृत पर व्यय की सीमा तक आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि में रू0 210.67 लाख (रूपये दो सौ दस लाख सड़सठ हजार मात्र) निम्न विवरणानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि हजार रूपये में)

क0सं0	2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–001–निदेशन तथा प्रशासन–91–जिला योजना–9101–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–42–अन्य व्यय	आयोजनागत
1	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	2817
2	युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन	4212
3	स्वयं सेवकों का सुदृढ़ीकरण/प्रशिक्षण	3241
4	समाज सेवा/शान्ति सुरक्षा	5209
5	विवेकानन्द यूथ एवार्ड	286
6	सेमिनार/संगोष्ठि	532
7	सांस्कृतिक कार्यक्रम	986
8	प्रकीर्ण/कार्यालय व्यय	1794
9	युवाओं का व्यवसायिक प्रशिक्षण	1422
10	साहसिक कार्यक्रम	568
	योग	21067

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आंबटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। धनराशि का आहरण व व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि जनपदों को स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक तत्काल जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय। जिससे की विभागीय कार्यक्रमों का समय से कियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

4– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मिव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशें में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–001–निदेशन तथा प्रशासन–91–जिला योजना–9101–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–42–अन्य व्यय आयोजनागत पक्ष के उपरोक्त मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

NIC
129

6– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–149/वित्त अनुभाग–2/2005, दिनांक, 11 मई 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रहें है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3– अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
6– एन0आई0सी0, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।